न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 56 / 2017 / बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चोहटन के प्रकरण संख्या 14 / 2011दिनांक 13.05.2016 ।

अपीलांट

श्रीमती चतरूदेवी पुत्री दमाराम पत्नि रामाराम उम्र 38 साल,जाति जाट निवासी बावड़ी कला तहसील

हाल निवासी असाड़ा की बेरी तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. श्रीमती मोरू देवी पुत्री दमाराम पत्नि तुलछाराम उम्र 34 साल

2. श्रीमती लेरीदेवी पुत्री दमाराम पत्नी अन्नाराम उम्र 36 साल जाति जाट निवासी बावड़ी कला हाल निवासी ईशरोल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

3. प्रेमी बेवा भगवानाराम, उम्र 98 साल जाति जाट निवासी बावड़ी कला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर फौत के कायम मुकाम 3 / 1 श्रीमती बबरी पुत्री भगवानाराम पत्नी रूपाराम उम्र 70 साल जाति जाट निवासी बांधणीया, तहसील सेड़वा 3 / 2 श्रीमती दमी पुत्री भगवानाराम पत्नी मालाराम उम्र 60 साल, जाति जाट निवासी जैसार, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थिति

1. वकील श्री रामस्वरूप भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 05.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खसरा संख्या 240 रकबा 33 बीघा मौजा बावड़ी कला तहसील चौहटन में अपीलकर्ता (वादीनी) एवम तमाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उतरदातागण (प्रतिवादीगण) को संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जावे और माफिक दावा स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे, इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अपीलकर्ता तथा उतरदाता संख्या 1, 2 के पिता तथा उतरदाता संख्या 3 के पुत्र दमाराम द्वारा अपनी स्वअर्जित कमाई से मुस्समी हैदर व फता पिसरान मुरीद से दिनांक 16.06.1975 को बाजार बिकता खरीद किया था तब दमाराम व बाद अपीलकर्ता तथा उतरदातागण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। स्वर्गीय दमाराम का परिवार भारत पाक युद्ध के दौरान भारत में बतौर शरणार्थी आये, उस वक्त परिवार का मुखिया स्वर्गीय दमाराम था। अपीलकर्ता को राजस्व कैम्प बावड़ी कला में दिनांक 13.05.2016 को रखने बाबत कोई सूचना नही दी जिस कारण अपीलकर्ता केम्प में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सकी तथा केम्प में जो भी कार्यवाही हुई व वह एकतरफा हुई है। वाद अपीलकर्ता की शहादत में चल रहा था जिसका अवसर समाप्त कर बन्द कर दिया एवं उतरदाता संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा आदेश को निरस्त करना बताया गया है तथा उतरदातागण की तरफ से आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 के प्रार्थना–पत्र एवं एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने का प्रार्थना–पत्र आदेश 09 नियम 07 सी0पी0सी0 के प्रार्थना–पत्रों में भी बड़ा भारी विरोधाभास था जिन पर भी बिना किसी प्रकार गौर किये आदेश पारित किये है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिले खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दोहरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया कि अपीलकर्ता को राजस्व कैम्प बावड़ी कला में दिनांक 13.05.2016 को रखने बाबत कोई सूचना नही दी जिस कारण अपीलकर्ता केम्प में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सकी तथा केम्प में जो भी कार्यवाही हुई व वह एकतरफा हुई है। वाद अपीलकर्ता की शहादत में चल रहा था जिसका अवसर समाप्त कर बन्द कर दिया एवं उतरदाता संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा आदेश को निरस्त करना बताया गया है तथा उतरदातागण की तरफ से आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 के प्रार्थना–पत्र एवं एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने का प्रार्थना–पत्र आदेश 09 नियम 07 सी0पी0सी0 के प्रार्थना–पत्रों में भी बड़ा भारी विरोधाभास था जिन पर भी बिना किसी प्रकार गौर किये आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है जो कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कतई उचित नहीं है। वकील अपीलांट ने आगे बहस करते हुए उक्त विक्रय विलेख में गवाह रहे धन्नाराम के शपथ–पत्र का भी जिक्र किया जिसमें यह बताया कि धनाराम ने उक्त विक्रय पत्र को धोखे में रखकर करवाया है। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRT 2018(1) Page 559 (अपील की सुनवाई के दौरान अपीलांट व उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं हैं तो न्यायालय अपील को अदम हाजिरी में अदम पैरवी में खारिज नहीं कर गुणावगुण पर निर्णय नहीं कर सकता है।)

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अपील के मामले में है इसलिए वाद के संबंध में यह चस्पा नहीं होता है। वकील अपीलांट का धन्नाराम के शपथ–पत्र के जिक्र के संबंध में विक्रय विलेख देखने से स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने वाला गवाह धन्नाराम विक्रय विलेख से वाकिफ नहीं हो ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

रेस्पोडेंट संख्या 04 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि उतरदाता संख्या 03 द्वारा वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित आय से क्रय की गई है। साथ ही बयान गवाह का अध्ययन करने से सपष्ट होता है कि दमाराम जो पेमी का पुत्र था उसको अलग से खेत आवंटन हुआ था। वादग्रस्त भूमि उतरदाता/प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा दिनांक 16.06.1975 को खरीद की गई थी। इतने लम्बे समय तक अपीलांट/वादीनी द्वारा न ही कोई दावा पेश किया गया और न ही सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई प्रार्थना–पत्र पेश किया। अपीलांट/वादिनी द्वारा केवल यह कहना कि उपपंजीयक कार्यालय में दमा व उसकी माता को रिश्तेदारान खेत का बेचान करवाने गये थे। यह तथ्य मनगढ़त तथा सारहीन लगता है क्योंकि इस संबंध में वादिनी ने कोई दस्तावेज वाद पत्र के साथ पेश नहीं किया गया। जिस कारण उतरदाता संख्या 03 की निजी सम्पति में अपीलांट/वादिनी को कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। परन्तु अपीलांट/वादिनी ने वास्तविक तथ्य छिपाते हुए गलत रूप से वादग्रस्त भूमि पैतृक बताई गई जबकि वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलकर्ता को राजस्व केम्प बावड़ीकला में पारित होने का ज्ञान नही था एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2016 के बाद कई बार अपीलकर्ता ने अपने अधिवक्ता से प्रकरण बाबत जानकारी चाही परन्तु अधिवक्ता ने बार–बार यही जबाब दिया कि प्रकरण की पत्रावली नही मिल रही है। सर्वप्रथम दिनांक 11.04.2017 को आलोच्य की जानकारी अपीलकर्ता को हुई। जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा निर्णय की नकल दिनांक 12.04.2017 को प्राप्त की गई। जिस पर यह अपील नकल मिलने की तारीख तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर मामले में निर्णय गुणावगुण पर किया जाना समीचीन है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयमपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि विवादित आराजी दमाराम द्वारा क्रय किया जाना कथित किया है लेकिन इस बाबत ऐसा कोई पुष्ट अभिलेखीय प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। अभिलेखीय साक्ष्य विक्रय–पत्र से स्पष्ट होता है कि रिकॉर्डेड खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 03 प्रेमी पत्नी भगवानाराम (मृतका) के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 04 को विवादित आराजी जरिये रजिस्ट्रर्ड विलेख विक्रय की गई। प्रकरण दिनांक 28.04.2016 की आदेशिका के मुताबिक 13.05.2016 को लोक अदालत में पेशी पर रखा गया था। उस रोज अपीलांट/वादीनी अनुपस्थित रही एवं प्रकरण लोक अदालत केम्प कोर्ट बावड़ी कला में उतरदाता संख्या 3 (प्रेमी पत्नी भगवानाराम मृतका) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना जाकर निर्णीत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिकथन एवं इसके समर्थन में पेश साक्ष्य के आधार पर निर्णय मजमे आम में किया जाना पाया गया है। निसंदेह वादग्रस्त भूमि पैतृक नहीं होकर विक्रेता की तृतीय पक्ष से क्रय किये जाने से स्व अर्जित है। बेचान भी सदाशयपूर्ण है। स्व अर्जित संपति के व्ययन का संपूर्ण अधिकार सम्पति अर्जित कर्ता को है, इसमें विरासतन अधिकार प्रोद्भूत नही होते। अपीलाधीन निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उतरदाता संख्या 03 द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को दिनांक 16.06.1975 को क्रय किया गया था परन्तु लंबे समय तक अपीलांट/वादीनी द्वारा न ही

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कोई दावा पेश किया और न ही सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई प्रार्थना–पत्र पेश किया। विधि की दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दूषित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 13.05.2016 यथावत रखा जाता है।

5/3/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner